**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. \*7**

**17.07.2017 को उत्तर के लिए**

**कर्नाटक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी**

**\*7. श्री के. सी. राममूर्ति:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्णाटक की तीस परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए मंत्रालय में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी के लिए भेजी गयी प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है, ये कितने समय से लंबित हैं, इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और उक्त प्रत्येक परियोजना को मंजूरी देने के लिए परियोजना-वार क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या मामलों को मंजूरी देने में पूर्व के 600 दिनों की अपेक्षा अब 192 दिनों में मंजूरी प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो 200 दिनों से अधिक समय से लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉं हर्ष वर्धन)**

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*\*\*

**कर्णाटक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में दिनांक 17.07.2017 को उत्‍तर के लिए माननीय संसद सदस्‍य श्री के.सी. राममूर्ति द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.** \***7 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) से (ड.) मंत्रालय में पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्‍य से 41 परियोजनाएं विचाराधीन हैं, जिनमें से 15 परियोजनाएं 200 दिनों से ज्‍यादा समय से लंबित हैं। परियोजनाओं और उनके लंबित होने के कारणों का ब्‍यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने हेतु परियोजनाओं/कार्यकलापों पर समय-समय पर यथासंशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है, जिसमें मूल्‍यांकन और स्‍वीकृति के विभिन्‍न चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा पर्यावरणीय स्‍वीकृति के लिए पूर्ण आवेदन प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात् 105 दिन है। यदि विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति की संस्‍तुति के बाद कोई स्‍पष्‍टीकरण मांगा जाता है तो परियोजना प्रस्‍तावक द्वारा उसे दिया जाना होता है। परियोजना प्रस्‍तावक द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्‍तुत करने के बाद, विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति को 60 दिनों में आगे का मूल्‍यांकन पूरा करना होगा तथा सक्षम प्राधिकारी को अगले 30 दिनों में मामले को अनुमोदित करना होगा। अत:, ऐसे मामलों में पर्यावरणीय स्‍वीकृति 195 दिनों में प्रदान कर दी जानी चाहिए।

इस मंत्रालय ने पर्यावरणीय संतुलन से समझौता किए बिना पर्यावरणीय स्‍वीकृति की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु कईं कदम उठाए हैं जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, निम्‍नलिखित शामिल हैं:-

1. ईआईए अधिसूचना, 2006 में दिनांक 25.06.2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1599 (अ) के द्वारा निम्‍नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क. ईआईए अधिसूचना में ''सामान्‍य शर्त'' को, अन्‍य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि केन्‍द्र के स्‍तर पर श्रेणी ''ख'' की केवल उन्‍हीं परियोजनाओं का श्रेणी 'क' परियोजनाओं के रूप में मूल्‍यांकन किया जाएगा जो पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिज्ञात अत्‍यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की परिधि से 5 किमी के अंदर स्थित हैं। इसका अर्थ है कि अब अत्‍यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की परिधि के 5 किमी से 10 किमी के बीच स्थित श्रेणी 'ख' परियोजनाओं पर, उपर्युक्‍त संशोधन अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अध्‍यधीन, संबंधित एसईआईएए द्वारा विचार किया जा सकेगा।

ख. 2000 हेक्‍टेयर तक के कृषियोग्‍य कमान क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्‍वीकृति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है।

ग. 15 मेगावाट के बराबर अथवा उससे अधिक क्षमता की बॉयोमास आधारित सभी ताप विद्युत परियोजनाएं श्रेणी 'ख' परियोजनाएं होंगी । 15 मेगावाट से कम क्षमता की ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्‍वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।

घ. खनिज परिष्‍करण परियोजनाओं के मामले में, श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के लिए उच्‍चतर सीमा 0.1 एमटीपीए से बढ़ाकर 0.5 एमटीपीए कर दी गई है।

ड. गैर-चाश्‍नी आधारित आसवनियों के मामले में, श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के लिए उच्‍चतर सीमा 30 केएलडी से बढ़ाकर 60 केएलडी कर दी गई है।

2. पारदर्शिता बढ़ाने तथा त्‍वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुकर बनाने की दृष्टि से, दिनांक 01.07.2014 से विचारार्थ विषय (टीओआर) तथा पर्यावरणीय स्‍वीकृति (ईसी) के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्‍तुत करना अनिवार्य बनाया गया है।

3. कोयला उत्‍पादन में वृद्धि के लिए जन सुनवाई से छूट संबंधी दिशानिर्देशों को उन कोयला खनन विस्‍तार परियोजनाओं के मामले में और अधिक शि‍थिल किया गया है जिनमें 5 एमटीपीए तक के अतिरिक्‍त उत्‍पादन की सीमा के अध्‍यधीन मौजूदा प्रचालन में एक बारगी उत्‍पादन क्षमता विस्‍तार शामिल है और जहां बढ़े हुए उत्‍पादन की ढुलाई रेलवे/वाहक के माध्‍यम से की जाती है।

4. दिनांक 07.10.2014 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी करके यह स्‍पष्‍ट किया गया था कि सीआरजेड अधिसूचना, 1991 के तहत स्‍वीकृति प्रदत्‍त जिन परियोजनाओं में पांच वर्षों की वैधता अवधि के अंदर निर्माण अथवा प्रचालन शुरू हो गया था, उनके लिए सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के तहत नयी स्वीकृति प्राप्‍त करना अपेक्षित नहीं है।

5. इस बात को ध्‍यान में रखते हुए कि पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने की दृष्टि से परियोजना/कार्यकलाप पर विचार करने के लिए भू‍मि का पूर्ण अधिग्रहण एक पूर्वापेक्षा नहीं हो सकता, इस मंत्रालय ने दिनांक 07.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्‍पष्‍ट किया था कि पर्यावरण स्‍वीकृति के मामलों का मूल्‍यांकन करते समय ईएसी/एसईएसी द्वारा निम्‍नलिखित दस्‍तावेज पर्याप्‍त समझे जाएं:-

1. यदि परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण सरकार के माध्‍यम से किए जाने का प्रस्‍ताव है तो भूमि अधिग्रहण, पुन:स्‍थापन तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए गए भू‍मि अधिग्रहण के बारे में संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक अधिसूचना की एक प्रति।
2. यदि भूमि का अधिग्रहण भू‍मि के मालिकों के साथ व्‍यक्तिगत बातचीत के माध्‍यम से किया जा रहा है तो परियोजना के लिए भूमि बेचने की भूमि मालिकों की मंशा को दर्शाने वाला प्रामाणिक दस्‍तावेज।

6. दिनांक 07.10.2014 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों अर्थात् निर्माणपूर्व, निर्माण के दौरान, निर्माण पश्‍चात् के लिए तथा परियोजना अवधि हेतु पर्यावरणीय स्‍वीकृति की शर्तों के वर्गीकरण को स्‍पष्‍ट किया गया था ।

7. दिनांक 07.10.2014 को एक परिपत्र जारी करके ईएसी/एसईएसी को सलाह दी गई थी कि प्रस्‍ताव पर स्‍कोपिंग स्‍तर पर ही व्‍यापक रूप से विचार किया जाए तथा परियोजना के मूल्‍यांकन के समय मुद्दों को नए सिरे से जांचने की बजाए, प्रस्‍तावक से एक ही बार में अपेक्षित सूचना मांग ली जाए।

8. दिनांक 22.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन को दिनांक 8.10.2014 को संशोधित किया गया तथा उसमें नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में टीओआर की वैधता अवधि के लिए 5 वर्ष की तथा अन्‍य श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए 4 वर्ष की आउटर सीमा स्‍पष्‍ट की गई थी।

9. दिनांक 10.12.2014 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा स्‍पष्‍ट किया गया है कि दिनांक 14.09.2006 अर्थात् ईआईए अधिसूचना, 2006 से पूर्व अधिसूचित की गई औद्योगिक संपदा अथवा उद्यानों के अंदर स्थित परियोजना कार्यकलापों अथवा इकाइयों को भी ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैरा 7 (i) III चरण (3) ( i) (ख) के तहत लोक सुनवाई से छूट प्राप्‍त है।

10. परियोजना प्रस्‍तावकों तथा निर्णय लेने वालों के सुलभ संदर्भ हेतु ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत जारी समस्‍त कार्यालय ज्ञापनों/अधिसूचनाओं का एक संग्रह तैयार किया गया है। यह संग्रह ईआईए अधिसूचना, 2006 के बारे में उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी जानकारी अद्यतन रखने में सहायक होगा।

11. दिनांक 22.12.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 3252(अ) के द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 में एक संशोधन किया गया था जिसके तहत शैक्षिक संस्‍थानों के लिए औद्योगिक शेड, स्‍कूलों, कॉलजों, छात्रावासों के निर्माण को ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्‍वीकृति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है।

12. दिनांक 03.02.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 382(अ) के द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपयुक्‍त शर्तों के अध्‍यधीन, सीमावर्ती राज्‍यों की सभी राजमार्ग परियोजनाओं को स्‍कोपिंग की अपेक्षा से तथा सीमावर्ती राज्‍यों की सभी संरेखण परियोजनाओं को लोक सुनवाई की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है।

13. दिनांक 04.02.2015 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ.383(अ) के द्वारा सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा मद I और मद II की उप-मद (ग), (घ), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) में सीआरजेड-II क्षेत्र में बीच रिजार्ट और होटल बनाने के बारे में, मद-II के बाद, अनुबंध-III में एक नोट जोड़ा गया है।

14. दिनांक 17.02.2015 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 556(अ) के द्वारा सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा समुचित पर्यावरणीय सुरक्षोपायों वाले सीआरजेड क्षेत्र के अंदर मेमोरियल/स्‍मारकों के निर्माण संबंधी मानदंडों को, केवल अपवादिक मामलों के रूप में शिथिल किया गया है।

15. इस मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च, 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्‍या सं. का.आ. 811(अ) के द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 में संशोधन करके यह प्रावधान किया है कि *''यदि किसी कोयला ब्‍लॉक का आवंटन किसी विधिक कार्रवाई के द्वारा, अथवा विधि के अनुसार सरकार द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो उस कोयला ब्‍लॉक के लिए प्रदत्‍त पर्यावरणीय स्‍वी‍कृति को, प्रारंभ में स्‍वीकृत वैधता अवधि के अध्‍यधीन, किसी ऐसे वैध व्‍यक्ति को अंतरित किया जा सकता है जिसे वह कोयला ब्‍लॉक बाद में आवंटित किया गया हो और ऐसे मामले में, पर्यावरण स्‍वीकृति के धारक से अथवा संबंधित विनियामक प्राधिकारी से ''अनापत्ति'' लेना आवश्‍यक नहीं होगा तथा मामले को विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति अथवा संबंधित राज्‍य स्‍तरीय विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति को नहीं भेजा जाएगा''।*

16. दिनांक 20.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि जिस परियोजना प्रस्‍तावक के पास अपनी खनन परियोजना के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत वैध और स्‍थायी पर्यावरण स्‍वीकृति होगी, उसके लिए पट्टे के नवीकरण के समय नयी पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्राप्‍त करना अपेक्षित नहीं होगा। यह पर्यावरणीय स्‍वीकृति की अधिकतम वैधता अवधि के अध्‍यधीन है, जो खनन पट्टे के मामले में 30 वर्ष है ।

17. दिनांक 10.04.2015 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 996(अ) के द्वारा ईआईए अधिसूचना, 2006 में एक संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र विशिष्‍ट मूल्‍यांकन समिति के परामर्श से मंत्रालय द्वारा बनाए गए मानक विचारार्थ विषयों को परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए अनुमोदित विचारार्थ विषय माना जाएगा। यदि ईएसी/एसईएसी आवश्‍यक समझे तो वह विनिर्दिष्‍ट आवेदन प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-Iक में, आवेदन की स्‍वीकृति के 30 दिनों के अंदर, विचारार्थ विषयों का निर्धारण/आशोधन कर सकती है, अन्‍यथा परियोजना प्रस्‍तावक मानक विचारार्थ विषयों के अनुसार ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट बनाना शुरू कर सकता है।

18. व्‍यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई)-चंद्रपुर (एमआईडीसी, चंद्रपुर, तदाली, घुग्‍गुस, बल्‍लापुर), महाराष्‍ट्र के औद्योगिक समूह/क्षेत्र में लगी रोक को हटाने पर आधारित पर्यावरणीय स्‍वीकृति दी जाने वाली परियोजनाओं पर विचार करने के संबंध में दिनांक 20.05.2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

19. औद्योगिक संपदाओं/उद्यानों के अंदर स्थित परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए लोक परामर्श से छूट के बारे में दिनांक 04.04.2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

20. पर्यावरणीय स्‍वीकृति की वैधता को बढ़ाने के सबंध में ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29.04.2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1141(अ) तथा दिनांक 31.08.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2571(अ) के बारे में दिनांक 12.04.2016 को स्‍पष्‍टीकरण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

21. गौण खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय स्‍वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं पर विचार करने, ईआईए अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने तथा डीईआईएए/डीईएसी का गठन करने के बारे में दिनांक 15.03.2016 को स्‍पष्‍टीकरण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया ।

22. विनियुक्‍त कोयला ब्‍लाकों/कोल इंडिया से या आयात के जरिए कोयला प्राप्‍त करने वाली ताप विद्युत/इस्‍पात क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्यावरण स्‍वीकृति देने पर विचार करने के लिए दिनांक 02.11.2015 को स्‍पष्‍टीकरण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

**कर्णाटक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में दिनांक 17.07.2017 को उत्‍तर के लिए माननीय संसद सदस्‍य श्री के.सी. राममूर्ति द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं.** \***7 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध ।**

**कर्नाटक राज्‍य से पर्यावरणीय स्‍वीकृति के लिए विचाराधीन परियोजनाएं**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **प्रस्‍ताव का नाम** | | **प्रस्‍तुत करने की तिथि** | **परियोजना क्षेत्र** | **विचाराधीनता के कारण** | |
| 1 | टीएसडीएफ सहित एकीकृत अपशिष्‍ट प्रबंधन सुविधा (मदनहट्टी और पिचगुंत्राहाली ग्राम, मालूर तालुक, कोलार जिला और कर्नाटक) | | 25 अप्रैल-15 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं + सीआरजेड | इस मामले पर कार्रवाई करते समय यह पाया गया कि इस परियोजना के विषय में आम जनता ने विरोध किया है और जनसुनवाई के संबंध में प्रस्‍तुत किए गए दस्‍तावेज अपाठ्य और अपूर्ण हैं। जनसुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग की सीडी सहित, जनसुनवाई की कार्यवाही की प्रति प्रेषित करने के लिए राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक पत्र दिनांक 28 जनवरी 2016 और 6 जून, 2016 को भेजा गया था जो अभी तक प्राप्‍त नहीं हुई है। | |
| 2 | सतीश शुगर्स लि.- गन्‍ने की पेराई के संयंत्र की क्षमता को 10,000 टीसीडी से 15,000 टीसीडी तक विस्‍तारित करना और सह-उत्‍पादन संयंत्र की विद्युत उत्‍पादन क्षमता को 45 मेगावाट से 80 मेगावाट तक में विस्‍तारित करना और शीरा आधारित आसवनी संयंत्र की क्षमता में 60 केएलडी से 120 केएलडी तक विस्‍तार करना। बेलगाम जिला। | | 5 नवम्‍बर-15 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | दिनांक 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2016 तक आयोजित की गई छठी ईएसी बैठक में इस प्रस्‍ताव पर विचार किया गया था, उस समय परियोजना प्रस्‍तावक बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। इस प्रस्‍ताव पर पुन: 8-9 दिसम्‍बर, 2016 के दौरान आयोजित 16वीं ईएसी बैठक में विचार किया गया था। ईएसी ने अतिरिक्‍त सूचना के अभाव में इस प्रस्‍ताव को आस्‍थागित कर दिया था। परियोजना प्रस्‍तावक से अतिरिक्‍त सूचना अभी भी प्रतीक्षित है। | |
| 3 | तडाडी, कारवार, कर्नाटक में बहुउद्देशीय बारहमासी बंदरगाह | | 2 दिसम्‍बर-15 ‍ | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं + सीआरजेड | दिनांक 26-28 दिसम्‍बर, 2016 को आयोजित ईएसी बैठक द्वारा इस चरण-। की वन स्‍वीकृति की शर्त पर प्रस्‍ताव हेतु सिफारिश की गई थी। चरण-। की वन स्‍वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है। | |
| 4 | सिंगटलूर लिफ्ट सिंचाई स्‍कीम | | 10 दिसम्‍बर-15 | नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्‍वीकृति अनुमोदित की गई है। चरण-। की वन स्‍वीकृति प्रतीक्षित है। तदनुसार विकासक को सूचित कर दिया गया है। | |
| 5 | हट्टी गोल्‍ड माईन्‍स (भूमिगत) चित्रदुर्ग, कर्नाटक | | 4 मार्च-6 | गैर-कोयला खनन | चरण-। की वन स्‍वीकृति के अभाव में लम्बित हैं। | |
| 6 | मैसर्स बन्‍नारी अम्‍मन शुगर्स लि. द्वारा अलागान्‍छी ग्राम, तालुक नंजनगुड, जिला मैसूर, कर्नाटक में मौजूदा आसवनी का (60 केएलपीडी से 150 केएलपीडी तक) विस्‍तार करना | | 26 मई-16 | औद्योगिक परियोजना -2 | ईएसी द्वारा दिनांक 6 से 7 फरवरी, 2017 के दौरान आयोजित अपनी 19वीं ईएसी बैठक में इस प्रस्‍ताव के लिए सिफारिश की गई थी। मंत्रालय में यह देखा गया था प्रदान की गई मौजूदा पर्यावरणीय स्‍वीकृति में अनुबद्ध शर्तों की अनुपालन स्थिति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। परियोजना प्रस्‍तावक से अद्यतन स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। | |
| 7 | मैसर्स कर्नाटक नीरावारी निगम लि., कर्नाटक सरकार द्वारा जनावड ग्राम, के समीप, जामाखांडी तालुक, बगलकोट जिला, कर्नाटक में प्रस्‍तावित तुबाची-बबलेश्‍वरा लिफ्ट सिंचाई स्‍कीम | | 28 जुलाई-16 | नदी घाटी और जलविद्युत परियोजना | ईएसी द्वारा पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की गई है। चरण-। की वन स्‍वीकृति प्रतीक्षित थी। परियोजना प्रस्‍तावक ने अब चरण-। वन स्‍वीकृति प्रस्‍तुत कर दी है। तदनुसार फाईल पर कार्रवाई की गई और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्‍तुत की गई। | |
| 8. | प्रस्‍तावित सीमेंट संयंत्र जिसकी क्षमता क्लिंकर 3 एमटीपीए, सीमेंट 7 एमटीपीए (0.70 एमटीपीए, ओपीसी, 3.50 एमटीपीए पीएससी और 2.80 एमटीपीए पीपीसी) | | 2-अगस्‍त-16 | औद्योगिक परियोजनाएं-1 | परियोजना प्रस्‍तावक से अतिरिक्‍त ब्‍यौरे मगाए गए हैं, जो प्रतीक्षित हैं। | |
| 9. | स्‍पंज आयरन यूनिट रोलिंग मिल, इंडक्‍शन फरनेस और कैप्टिव पावर प्‍लांट की प्रस्‍तावित स्‍थापना | | 02-अगस्‍त-16 | औद्योगिक परियोजनाएं-1 | परियोजना प्रस्‍तावक से अतिरिक्‍त ब्‍यौरे मंगाए गये है जो प्रतीक्षित हैं। | |
| 10. | मोगला गॉंव, चित्‍तरपुर, गुलबर्गा, कर्णाटक में 4.51 एमटीपीए चूना पत्‍थर क्षमता के लिए मैसर्स जेएसडब्‍ल्‍यू सीमेन्‍ट्स लिमिटेड की मोगला लाइमस्‍टोन माइन | | 10-अगस्‍त-16 | गैर कोयला खनन | यह पट्टा विवादित है और मामला न्‍यायाधीन है। | |
| 11. | डोनीमलाई में मैसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, जिला बेलारी, कर्णाटक राज्‍य के डोनीमलाई और कुमारास्‍वामी आयरन और माइन्‍स के लिए एनएमडीसी लिमिटेड नये स्‍क्रीनिंग और बेनिफीसियेशन प्‍लांट-।।, अवपंक निपटान पाइपलाइन-1 और 2 टेलिंग डैम-1 और 2 का निर्माण | | 16-अगस्‍त-16 | गैर कोयला खनन | जून, 2017 में आयोजित विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति (ईएसी) की 19वीं बैठक में प्रस्‍ताव की सिफारिश की गयी थी। चरण-। की वन स्‍वीकृति के अभाव में पर्यावरण स्‍वीकृति का मुद्दा लंबित है। | |
| 12. | तरनहल्‍ली लाइमस्‍टोन माइन, जेपी सीमेंट कारपोरेशन लि‍., गुलबर्गा, कर्णाटक | | 07-अक्‍तूबर-16 | गैर कोयला खनन | परियोजना के प्रस्‍तावक बैठक में उपस्थित नहीं हुए। | |
| 13. | बदनाकुप्‍पे और काल्‍लमबेल्‍ली गॉंव, चामराजानगर तालुक और जिला कर्णाटक राज्‍य में प्रस्‍तावित चामराजानगर औद्योगिक क्षेत्र | | 15-अक्‍तूबर-16 | आधारभूत ढांचा और विविध परियोजनाएं +सीआर जेड | अप्रैल, 2017 में आयोजित ईएसी की बैठक में विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति (ईएसी) द्वारा अनुशंसित। प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है। | |
| 14. | मैसर्स ध्‍यानयोगी श्रीशिवकुमार स्‍वामीजी शुगर लिमिटेड द्वारा गांव हीरेबेवानूर, तालुक इंडी, जिला बीजापुर कर्णाटक में शुगर प्‍लांट का विस्‍तार 1750 टीसीडी से 5000 टीसीडी, आसवनी और सहउत्‍पादन विद्युत प्‍लांट का विस्‍तार | | 21-नवम्‍बर-16 | औद्योगिक परियोजना-2 | ईएसी द्वारा परियोजना के प्रस्‍तावक को अतिरिक्‍त ब्‍यौरे तथा कार्य संचालन की स्‍वीकृति की स्थिति प्रस्‍तुत करने के लिए कहा गया है जो कि अभी प्रतीक्षित है। | |
| 15. | श्रीजेन फार्मा लिमिटेड, जिला बीदर द्वारा प्रपुंज औषधियों के विनिर्माण एकक का रूपांतर और विस्‍तार | | 6-दिसम्‍बर-16 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | प्रस्‍ताव, आवश्‍यक ब्‍यौरों के लिए परियोजना प्रस्‍तावक के पास लंबित है। | |
| 16. | कुदुथीनी गॉंव जिला बेल्‍लारी कर्णाटक में 6 एमटीपीए के एकीकृत स्‍टील प्‍लांट के लिए पर्यावरणीय स्‍वीकृति | | 20-जनवरी-17 | औद्योगिक परियोजनाएं-1 | प्रस्‍ताव मई, 2017 के दौरान आयोजित ईएसीकी 18वीं बैठक में सूचीबद्ध था। परियोजना के प्रस्‍तावक ने अपने ही कारणों से 6 मास के लिए आस्‍थगित करने का अनुरोध किया। | |
| 17. | हीरेनन्‍दी गॉंव तालुक गोकाक, जिला बेलगॉंव कर्णाटक राज्‍य में शुगर काम्‍पलेक्‍स का विस्‍तार 4500 टीसीडी से 7500, टीसीडी,18 मेगावाट से 36 मेगावाट और निर्दहन बायलर से 60 के एल पी डी डिस्टिलेरी और 3 मेगावाट की स्‍थापना | | 30-जनवरी-17 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | 27 से 29 मार्च, 2017 के दौरान आयोजित ईएसी की 21वीं बैठक में ईएसी द्वारा प्रस्‍ताव पर विचार किया गया। अतिरिक्‍त सूचना के अभाव में ईएसी ने प्रस्‍ताव को आस्‍थगित कर दिया है। | |
| 18. | कोस्‍मास्‍यूटिकल, सक्रिय फार्मास्‍यूटिकल्‍स तथा स्‍पेशियेलिटी केमिकल्‍स का विद्यमान तथा प्रस्‍तावित विस्‍तार | | 25-फरवरी-17 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | प्रस्‍ताव श्रेणी-बी की परियोजना का है परियोजना के प्रस्‍तावक से इस परियोजना को केन्‍द्रीय स्‍तर पर प्रस्‍तुत करने का कारण स्‍पष्‍ट किये जाने को कहा गया है। परियोजना प्रस्‍तावक ने अभी तक उत्‍तर नहीं दिया है। | |
| 19. | पैनाम्‍बूर समुद्रतट पर आने वाले पर्यटकों के लिए परमिट युक्‍त रेस्‍टोरेन्‍ट के प्रयोजनार्थ कक्ष का अस्‍थायी (ढहा सकने योग्‍य) पारि-मित्र ढॉंचा | | 09-मार्च-17 | अवसंरचना तथा विविध परियोजनाएं +सीआरजेड | प्रस्‍ताव को ईएसी द्वारा मार्च 2017 में आयोजित बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मामले को सीआरजेड स्‍वीकृति के लिए प्रस्‍तुत कर दिया गया है। | |
| 20. | | प्रस्‍तावित संयुक्‍त हारोहल्‍ली चरण-।। और चरण-।।। औद्योगिक क्षेत्र, हारोहल्‍ली गांव, कनकापुर तालुक, रामनगर जिला | 17 मार्च-17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक भू-संपत्ति | परियोजना प्रस्‍तावक से अतिरिक्‍त सूचना प्रस्‍तावित है। |
| 21. | | वीरभद्रेश्‍वर लिफ्ट सिंचाई स्‍कीम | 20 मार्च-17 | नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं | ईएसी द्वारा 12.4.2017 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया था। ईएसी ने अतिरिक्‍त सूचना मांगी थी। परियोजना प्रस्‍तावक से उत्‍तर अभी भी प्रतीक्षित है। |
| 22. | | बासवेश्‍वर लिफ्ट सिंचाई स्‍कीम | 21 मार्च-17 | नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाएं | ईएसी द्वारा 12.4.2017 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया था। ईएसी ने अतिरिक्‍त सूचना मांगी थी। परियोजना प्रस्‍तावक से उत्‍तर अभी भी प्रतीक्षित है। |
| 23. | | येल्‍लुर गांव के पाडुविडरी औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आधारित टीपीपी में 2x800 मेगावाट (चरण-।।) के संयोजन द्वारा विस्‍तार | 05 अप्रैल-17 | तापीय परियोजनाएं | पर्यावरण मूल्‍यांकन समिति (ताप विद्युत) द्वारा 28.6.2017 को आयोजित सातवीं बैठक में पर्यावरणीय स्‍वीकृति देने के प्रस्‍ताव का मूल्‍यांकन किया गया है। पर्यावरण मूल्‍यांकन समिति ने पर्यावरणीय स्‍वीकृति देने की सिफारिश कर दी है। प्रभाग द्वारा फाइल पर कार्रवाई की जानी है। |
| 24. | | मैसर्स यूटेक अपशिष्‍ट प्रबंधन द्वारा भूखंड सं. 19 डी, केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, बिडाडी औद्योगिक क्षेत्र, तालुक बिडाडी, जिला रामनगर, कर्नाटक में खतरनाक रासायनिक अपशिष्‍ट (द्रव, ठोस और अर्ध-ठोस) के शोधन और निपटान हेतु साझा खतरनाक अपशिष्‍ट भस्‍मीकरण सुविधा (सीएचडब्‍ल्‍यूआईएफ) और सह-प्रसंस्‍करण के लिए वैकल्पिक ईंधन और कच्‍चा माल (एएफआर) तैयार करना। | 05 अप्रैल-17 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं+सीआरजेड | मई, 2017 में आयोजित ईएसी बैठक में प्रस्‍ताव पर सिफारिश की गई थी। फाइल पर कार्रवाई की जा रही है। |
| 25. | | इंगलधल भूमिगत ताम्र खनन परियोजना, चित्रदुर्ग जिला | 16 मई -17 | गैर कोयला खनन | 29/4/2017 को टोओआर समाप्‍त हो गई है। प्रस्‍तावक ने 16-5-2017 को ऑनलाइन पर्यावरणीय स्‍वीकृति हेतु आवेदन किया है। परियोजना प्रस्‍तावक को टीओआर के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया है। |
| 26. | | इंगलधल भूमिगत ताम्र खान, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक | 16 मई -17 | गैर कोयला खनन | 12/5/2017 को टीओआर समाप्‍त हो गई है। प्रस्‍तावक ने 16-5-2017 को ऑनलाइन पर्यावरणीय स्‍वीकृति हेतु आवेदन किया है। प्रस्‍तावक को टीओआर के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा गया है। |
| 27. | | प्‍लांट सं. 191-ए, के आईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, फस्‍ट स्‍टेज, वसंथानारासापुरा तुमकुर जिला, कर्नाटक में बल्‍क ड्रग्‍स का प्रस्‍तावित विस्‍तार | 26 मई -17 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | एसईआईएए से टीओआर जारी की जा चुकी है, इसलिए परियोजना प्रस्‍तावक से केन्‍द्रीय स्‍तर पर ईसी के लिए आवेदन करने हेतु कारणों को स्‍पष्‍ट करने के लिए कहा गया है। उत्‍तर अभी प्रतीक्षित है। |
| 28. | | कोलर जिला, कर्नाटक में जक्‍कसांद्रा औद्योगिक क्षेत्र की स्‍थापना | 02 जून-17 | नई निर्माण परियोजनाएं तथा औद्योगिक संपदाएं | एसईआईएए द्वारा पहले प्रस्‍ताव पर विचार किया गया था और अब उसे एमओईएफ एंड सीसी को अग्रेषित किया गया है। मंत्रालय में प्रस्‍ताव की जांच की जा रही है। |
| 29. | | अदकानाहल्‍ली औद्योगिक क्षेत्र, तहसील नंजनगुड, जिला मैसूर, कर्नाटक का विकास | 03 जून-17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | एसईआईएए द्वारा पहले प्रस्‍ताव पर विचार किया गया था और अब उसे एमओईएफ एंड सीसी को अग्रेषित किया गया है। मंत्रालय में प्रस्‍ताव की जांच की जा रही है। |
| 30. | | तिरूमेनाहल्‍ली गांव, जक्‍कुरू थेलाहंका, बैंगलूर में ''हिंदुजा एल जरडिन'' 138 फ्लैट सहित आवासीय अपार्टमेंट परियोजना | 05 जून-17 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं+सीआरजेड | जांच के अधीन |
| 31. | | मम्‍मीगाटी औद्योगिक क्षेत्र, तहसील धारवाड़, जिला धारवाड़, कर्नाटक का विकास | 05 जून-17 | नई निर्माण परियोजना और औद्योगिक संपदाएं | एसईआईएए द्वारा पहले प्रस्‍ताव पर विचार किया गया था और अब उसे एमओईएफ एंड सीसी को अग्रेषित किया गया है। मंत्रालय में प्रस्‍ताव की जांच की जा रही है। |
| 32. | | एचएएल के नये हेलीकॉप्‍टर कारखाने के लिए तुमाकुरू, तहसील गुब्‍बी, जिला तुमकुर, कर्नाटक में प्रस्‍तावित एकीकृत अवसंरचना सुविधाएं | 05 जून, 17 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं+ सीआरजेड | जांच के अधीन |
| 33. | | आवासीय अपार्टमेंट ''मंत्री हेन्‍नूर'', तहसील बंगलौर ईस्‍ट, बंगलौर, कर्नाटक | 14 जून, 17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | जांच के अधीन |
| 34. | | मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा ग्राम कोल्‍हार, बिदर, कर्नाटक में कोल्‍हार औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण की संस्‍थापना | 15 जून, 17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | टीओआर 19.06.2015 को मंजूर किया गया। ईसी के लिए प्रस्‍ताव जांच के अधीन |
| 35. | | कॉस्‍मास्‍यूटिकल, एक्टिव फार्मास्‍यूटिकल, स्‍पेश्‍यल्‍टी कैमिकल्‍स एंड बायोटेक प्रोडक्‍ट्स मैनुफैक्‍चरिंग का प्रस्‍तावित विस्‍तार | 17 जून, 17 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है । |
| 36. | | ग्राम बस्‍तीगलामिग्‍थे, पोस्‍ट सोसागप्‍पा, तालुक भटकल, जिला उत्‍तर कन्‍नड़, कर्नाटक में बीच रिजॉर्ट कॉटेजेज और नेचर क्‍योर सेंटर का निर्माण | 20 जून, 17 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं+ सीआरजेड | जांच के अधीन |
| 37. | | ग्राम अकालेनाहल्‍ली, मल्‍लेनाहल्‍ली, हुबली, देवनहल्‍ली, बंगलौर ग्रामीण, कर्नाटक में क्षेत्र विकास परियोजना (आवासीय) | 20 जून, 17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | जांच के अधीन |
| 38. | | ग्राम तौरानागल्‍लू और मूसेनायाकानाहल्‍ली, तालुका संदूर, जिला बल्‍लारी, कर्नाटक में 2,00,000 केएलपीए जल आधारित पेंट और 40,000 टीएसआरपीए (प्रतिवर्ष टन ठोस रेसिन) जल आधारित इमल्‍सन कोपॉलीमर उत्‍पादन संयंत्र की स्‍थापना | 23 जून, 17 | औद्योगिक परियोजनाएं-2 | जांच के अधीन |
| 39. | | बंगलौर ईस्‍ट, बंगलौर, कर्नाटक में सॉफ्टवेयर टैक्‍नोलॉजी पार्क (आईटी पार्क एवं आवासीय विकास) ''दिव्‍यश्री टैक्‍नो पार्क'' का प्रस्‍तावित संशोधन और विस्‍तार | 27 जून, 17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | जांच के अधीन |
| 40. | | केएचबी, तहसील मैसूर, जिला मैसूर, कर्नाटक द्वारा कम्‍पोजिट हाऊसिंग स्‍कीम की प्रस्‍तावित रचना | 28 जून, 17 | नई निर्माण परियोजनाएं और औद्योगिक संपदाएं | जांच के अधीन |
| 41. | | '161 बीएंडसी' 'कोरा', ग्राम 'वसथानारासापूरा', तहसील और जिला तुमकुर, कर्नाटक में मैसर्स सेंचुरी ईको सॉल्‍यूशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा एकीकृत खतरनाक अपशिष्‍ट प्रबंधन सुविधा | 03 जुलाई, 17 | अवसंरचना और विविध परियोजनाएं + सीआरजेड | जांच के अधीन |

\*\*\*\*\*